भारत निर्वाचन आयोग

ई पी ए बी एक्स 011-23717391-98
फैक्स 011-23713412/23739944
110001
वेबसाइट : www.eci.nic.in

निर्वाचन सदन, अशोक रोड,
नई दिल्ली-

सं. 464/अनुदेश/2015-ईपीएस **दिनांक: 04 फरवरी, 2015**

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
दिल्ली।

विषय: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2015-मतदान दिवस के दिन किए जाने वाले उपाय-तत्संबंधी।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोग ने निदेश दिया है कि जहां मतदान-प्रक्रिया मतदान की समाप्ति के लिए नियत समयवधि से परे जारी रहे वहां निम्नलिखित उपायों का अक्षरश: पालन किया जाएगा:-

I. आयोग ने अपने पत्र 464/अनुदेश-वीएस/2014/ईपीएस, दिनांक 21 मार्च, 2014 के जरिए सुस्पष्ट रूप से अनुदेश दिया है कि फोटो मतदाता पर्ची के उल्टी तरफ अन्य अनुदेशों के साथ-साथ यह मुद्रित किया जाना चाहिए कि निर्वाचकों द्वारा मतदान केन्द्र के भीतर कोई भी कैमरा या मोबाइल फोन नहीं लाया जाएगा। इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए। मतदान केन्द्र में तैनात पुलिस कर्मी यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी निर्वाचक मतदान केन्द्र के 200 मीटर की दूरी के भीतर कोई कैमरा या मोबाइल फोन आदि लेकर नहीं आए।

II. जिन मतदान-केन्द्रों में दिल्ली के विगत विधान सभा निर्वाचन के दौरान मतदान की उच्च प्रतिशतता दर्ज की गई उनकी पहचान की जानी चाहिए। सुचारू एवं यथासमय

मतदान के लिए ऐसे मतदान केन्द्र में एक अतिरिक्त मतदान कर्मचारी की व्यवस्था की जानी चाहिए।

III. रिटर्निंग अधिकारियों/सेक्टर अधिकारियों को ऐसे मतदान केन्द्रों का रीयल टाइम आकलन करना चाहिए जहां मतदान प्रक्रिया थीमी पड़ रही हो और अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे निर्वाचकों की संख्या बढ़ रही हो। ऐसे मतदान केन्द्रों को अतिरिक्त मतदान कर्मी उपलब्ध करवाए जाने चाहिएं ताकि मतदान प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके। इस प्रयोजनार्थ तत्परता से तैनाती किए जाने के लिए अतिरिक्त स्टॉफ का एक पूल तैयार रखा जाना चाहिए।

IV. मतदान उस परिस्थिति में भी नियत समय पर बंद कर दिया जाना चाहिए जबकि किसी अपरिहार्य कारण से मतदान के शुरू होने के लिए नियत समय से कुछ बाद वह शुरू हुआ हो। हालांकि, इसका तात्पर्य यह नहीं होगा कि मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय के बाद किसी भी निर्वाचक को अपना मत डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पीठासीन अधिकारियों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जो भी निर्वाचक मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर मतदान केन्द्र में उपस्थित हों उन्हें अपने मत डालने की अनुमति दी जानी चाहिए चाहे मतदान नियत समाप्ति समय के बाद कुछ समय तक क्यों न जारी रखना पड़े । मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय से कुछ मिनट पहले पीठासीन अधिकारी कुछ देर के लिए मतदान रोक देंगे और मतदान केन्द्र की परिसीमाओं के भीतर मतदान करने के लिए प्रतीक्षारत सभी व्यक्तियों के लिए यह घोषणा करेंगे कि वे मतदाताओं की कतार में शामिल हो जाएं और उन्हें अपनी बारी आने पर मतदान करने की अनुमति दी जाएगी।

V. मतदान करने के लिए आखिरी समय में कतारबद्ध निर्वाचकों को पर्चियां (जिसकी संख्या पीठासीन अधिकारी की डायरी में प्रविष्ट की जानी है) वितरित करते समय पीठासीन अधिकारी को सुरक्षा कर्मी की सहायता से यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी निर्वाचक के पास मोबाइल फोन सहित कोई भी संचार उपकरण न हो।

VI. पीठासीन अधिकारी द्वारा ऐसे सभी निर्वाचकों को अपने द्वारा पूर्ण रूप से हस्ताक्षरित की गई पर्चियां वितरित की जाएंगी। ये पर्चियां उस समय कतार में खड़े निर्वाचकों की संख्या के अनुसार क्रम सं. 1 से आगे क्रम संख्यांकित की जानी चाहिएं। उन्हें इस बात पर नजर रखने के लिए पुलिस या अन्य स्टाफ को तैनात करना चाहिए कि नियत समाप्ति समय के बाद कतार में कोई शामिल न होने पाए। यह उस परिस्थिति में कारगर तरीके से सुनिश्चित किया जा सकता है जब ऐसे सभी निर्वाचकों को पर्चियों के वितरण की शुरूआत कतार में खड़े हुए आखिरी निर्वाचक से की जाए और उसके अग्र भाग की तरफ पीछे से आगे की तरफ बढ़ते हुए चला जाए। उन्हें मतदान-प्रक्रिया समाप्ति के समय के बाद भी, इन सभी निर्वाचकों द्वारा अपने-अपने मत डाल दिए जाने तक इसे जारी रखना चाहिए।

VII. प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए पीठासीन अधिकारियों को पूर्व-मुद्रित क्रम संख्यांकित पर्चियां (प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए लगभग 200 पर्चियां) उपलब्ध कराई जाएंगी।

VIII. पीठासीन अधिकारियों को इस बात के अनुदेश दिए जाएंगे कि वे ऐसे निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने अपराह्न 6:00 बजे के बाद मतदान किया है, और मतदान समाप्त होने के वास्तविक समय के बारे में पीठासीन अधिकारी की डायरी में प्रविष्टि करें।

भवदीय,

(सुमित मुखर्जी)
सचिव